



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-152

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271015 दिनांक 10/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Durga Lal S/o BHURA RAM	श्री भूरा पुत्र श्री हरनाथ	193	246.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE CHATARPU RA LALYA KA BAS) Sector/Block-	Name Transfer	सेज पुनर्वास योजना ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के आवासीय भूखण्ड संख्या 193 क्षेत्रफल 246 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 159 दिनांक 2.11.2011 को श्री भूरा पुत्र श्री हरनाथ के पक्ष में जारी की गई थी। आवेदक द्वारा अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री भूरा राम पुत्र श्री हरनाथ का स्वर्गवास दिनांक 01.03.2024 एवं श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री भूराराम का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2020 को हो चुका है। आवेदक द्वारा शपथ पत्र अनुसार श्री भूरा राम पुत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री हरनाथ के
वारिस (1) गंगा
देवी-फौत (पत्नी)
(2) दुर्गा लाल
(पुत्र) (3)
रामस्वरूप जाट
(पुत्र) (4) गुल्ली
(पुत्री) (5) मनभर
देवी (पुत्री) (6)
गलखु (पुत्री) है।
उक्त वारिसान में
से (4) गुल्ली
(पुत्री) (5) मनभर
देवी (पुत्री) (6)
गलखु (पुत्री)
द्वारा उक्त
भूखण्ड पर अपने
हिस्से का
हकत्याग जरिये
रजिस्टर्ड हक
त्याग पत्र क्रमांक
202403024113
520 दिनांक
02.12.2024 से
श्री दुर्गा लाल पुत्र
श्री भूरा राम के
हक में कर दिया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Durga Lal S/o BHURA RAM को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004